न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–01 / 12–13

बिमला देवी पति–बैधनाथ शर्मा, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका

बनाम

गौरी देवी पति–स्व0 आनन्द सिंह, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–01 / 12–13 बिमला देवी पति–बैधनाथ शर्मा, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–04 / 2006 में पारित आदेश दिनांक–31.05.2006 के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद मौजा–नया दुमका, नं0–07 जमाबंदी नं0–36 दाग नं0–18 कुल रकवा 4 कट्ठा 02 धुर से संबंधित है। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक–71, दिनांक–20.03.2015, पत्रांक–242, दिनांक–05.08.2016, पत्रांक–68, दिनांक–15.02.2017 एवं पत्रांक–128, दिनांक–31.03.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी दुमका से जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अबतक कार्यालय में अप्राप्त है। इस संबंध में गौरी देवी पति–स्व0 आनन्द सिंह को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत्त किया गया है। विपक्षी न्यायालय में लगातार अनुपस्थित पाये गये। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी गौरी देवी पति–स्व0 आनन्द सिंह कुम्हारपाड़ा दुमका लगातार न्यायालय में अनुपस्थित है। अतः स्पष्ट है कि गौरी देवी के द्वारा न्यायालय में वाद की कार्रवाई के संबंध में कोई अभिरुची नहीं दिखाई गई। अतएव प्रस्तुत वाद की कार्रवाई में नामांतरण अपील को स्थगित किया जाता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 28.7.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.08.02 15:09:05 +05:30
Location: 192.168.1.116